

पत्रांक २२७ / विधि-अनु० / आयु०क०उत्तरा० / वाणि०कर० / ०९-१० / दे०दून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि -अनुभाग)

देहरादून :: दिनांक :: ३ सितम्बर-०९

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,

शासन द्वारा अधिसूचना स०-६४५/२००९/८(१२०)/xxvii(८)/२००९
/दिनांक ०१ सितम्बर-०९ जारी करते हुए उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,
२००७ (अधिनियम संख्या २७ वर्ष २००५) मूल्य वर्धित कर अधिनियम, २००५ की
अनुसूची-११(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने से अवगत कराया गया है।

अनुसूची-११(ख) में क्रमांक संख्या १२३ की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित
प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्-

“ऊनी लोई, पट्टू, गब्बा तथा पावरलूम पर निर्मित ऐसे शाल और कम्बल जो
अधिनियम की किसी अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।”

शासन द्वारा जारी अधिसूचना की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि
शासन के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।
संलग्न उपरोक्तानुसार।

(एल०एम०पन्त)

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ०प०सं० २२७ / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- २- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- ३- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
- ४- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन
रुद्रपुर।
- ५- एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० /2009/8(120)/XXVII(8)/2009

दिनांक: देहरादून :: ०१ सितंबर 2009

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:-

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-II(ख) में क्रमांक संख्या 123 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्-

"ऊनी लोई, पट्टू, गब्बा तथा पावरलूम पर निर्मित ऐसे शाल और कम्बल जो अधिनियम की किसी अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।"

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 645 /2009/8(120)/XXVII(8)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु/एन0आई0सी0।

4606
2-9-09

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही के

उत्तराखण्ड
वित्त विभाग

आज्ञा से,
(सी0एस0समवाल)
अपर सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 645/2009/8(120)/XXVII(8)/2009 dated 01 Sept 2009 for general information.

Uttarakhand Shashan

VITTA VIBHAG

No. 645/2009/8(120)/XXVII(8)/2009

Dehradun :: Dated: : 01 September 2009

Notification


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in schedule- II(B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005.

Amendment

In Schedule-II(B), for the existing entry at serial no. 123, the following entry shall be substituted, namely—

“Woolen-loi, pattu, gabba, and such powerloom manufactured shawl and blanket not specified elsewhere in any Schedule of the Act.”



(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.